मनरेगा के तहत मज़दूरी दरों में संशोधन

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में केंद्र सरकार ने **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना** के तहत प्रदत्त मज़दूरी दरों में संशोधन की घोषणा की जिसके संबंध में विभिन्न राज्यों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ दीं।

- कई राज्यों में मनरेगा के तहत प्रदान किये जाने वाले **पारिश्रमिक में 8% से 10% की वृद्धि** की गई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने **आदर्श आचार संहिता** द्वारा अधिरोपित बाधाओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिसूचना जारी करने के लिये **निर्वाचन आयोग** से विशेष अनुमति प्राप्त की।
  - तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गोवा में पारिश्रमिक में 8% से 10.5% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।
- **हरियाणा में पारिश्रमिक सबसे अधिक**, **374 रुपए प्रतिदिन** है जबकि **उत्तर प्रदेश में** यह **सबसे कम,** 237 रुपए प्रतिदिन है।
  - संशोधित मज़दूरी दरें 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगी।
- इस संशोधन के बावजूद **वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति परिवार प्रदान किये गए रोज़गार के राष्ट्रव्यापी औसत दिन 51 दिन रहे** जो मनरेगा के तहत गारंटीकृत 100 दिनों की मज़दूरी से कम है।
- वर्ष 2005 में शुरू किया गया **मनरेगा विश्व के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है** जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।

How has the Centre's allocation for MGNREGS changed over the years?

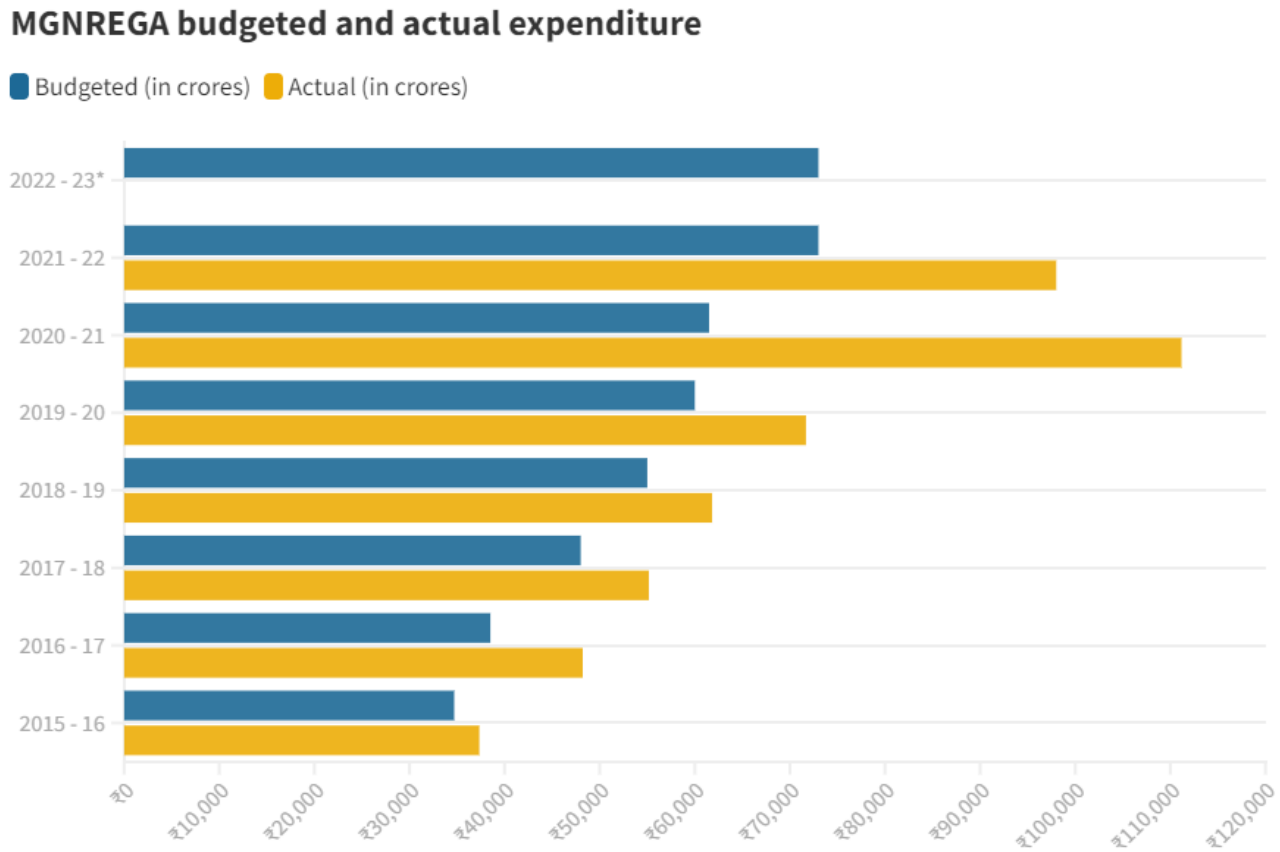

₹45,174 crore supplementary grants sought for MGNREGA in December 2022 | THE HINDU GRAPHICS

//

और पढ़ें...[मनरेगा योजना की सामाजिक लेखा परीक्षा]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/revised-wages-under-mgnrega